



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267622
CG-DL-E-13112025-267622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5007]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 5007]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5176(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2844(अ) दिनांक 23/06/2025, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 25/06/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ड्रिल साइट LNC#22 से LINCH GGS तक LNC#69 & 94 से होते हुए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के मुदरडा और हरसुंडल - गांव, तहसील - जोटाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 07/07/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन फॉर ड्रिल साइट LNC#22 से LINCH GGS तक LNC#69 & 94 सेहोते हुए

तालुका: - जोटाणा

जिला- मेहसाणा

राज्य- गुजरात

गाँव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	मुदरडा	128		00	16	85
2		144		00	03	25
3		145		00	21	80
4		150		00	07	00
5		151		00	05	15
6		154		00	21	70
7		153	दक्षिण पश्चिम- 1560 दक्षिण पूर्व-615	00	21	75
8		209		00	20	60
9		210		00	14	15
10		821		00	01	45
11		211		00	03	50
12		823		00	04	25
13		221		00	01	00
14		220		00	09	00
15		213		00	45	90
16		411		00	31	15
17		410		00	17	70
18		408		00	04	65
19		409		00	06	75
20		407		00	22	20
21		400		00	14	70

22		383		00	40	00
23		381		00	25	40
24		401		00	10	90
25		402		00	12	10
26		403		00	31	10
27		441		00	17	75
28		451		00	10	40
29		452		00	12	60
30		453		00	06	65
31		454		00	15	05
32		459		00	28	00
33		458		00	16	90
34		829		00	01	30
35	हरसुंडल	546		00	01	70
36		539		00	19	40
37		540		00	06	00
38		538		00	04	50
39		559		00	01	30
40		534		00	00	50
41		535		00	21	40
42		527		00	17	00
43		528		00	09	50
44		526		00	09	55
45		525		00	08	80
46		514		00	25	00
47		515		00	03	15
48		566		00	04	90
49		565		00	01	40
50		496		00	13	50
51		458		00	14	15
52		459		00	05	10
53		460		00	09	75
54		461		00	09	50
55		462		00	30	60
56		466		00	22	00
57		443		00	65	50

58		439		00	35	00
59		438		00	11	25
60		436		00	36	40
61		437		00	09	15
62		564		00	02	25
			कुल क्षेत्रफल	09-20-90		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/27/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-53241)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5176(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2844(E) Dated 23/06/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 25/06/2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from drill site LNC#22 TO LINCH GGS VIA LNC#69 & 94 in MUDARADA & HARSUNDAL villages, Taluka Jotana & District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 07/07/2025.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

PIPE LINE FOR DRILL SITE LNC#22 TO LINCH GGS VIA LNC#69 & 94

TALUKA: - JOTANA

DISTRICT-MEHSANA

STATE-GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Mudarada	128		00	16	85
2		144		00	03	25
3		145		00	21	80
4		150		00	07	00
5		151		00	05	15

6		154		00	21	70
7		153	South West-1560 South East- 615	00	21	75
8		209		00	20	60
9		210		00	14	15
10		821		00	01	45
11		211		00	03	50
12		823		00	04	25
13		221		00	01	00
14		220		00	09	00
15		213		00	45	90
16		411		00	31	15
17		410		00	17	70
18		408		00	04	65
19		409		00	06	75
20		407		00	22	20
21		400		00	14	70
22		383		00	40	00
23		381		00	25	40
24		401		00	10	90
25		402		00	12	10
26		403		00	31	10
27		441		00	17	75
28		451		00	10	40
29		452		00	12	60
30		453		00	06	65
31		454		00	15	05
32		459		00	28	00
33		458		00	16	90
34		829		00	01	30
35	Harsundal	546		00	01	70
36		539		00	19	40
37		540		00	06	00
38		538		00	04	50
39		559		00	01	30
40		534		00	00	50
41		535		00	21	40
42		527		00	17	00
43		528		00	09	50
44		526		00	09	55

45		525		00	08	80
46		514		00	25	00
47		515		00	03	15
48		566		00	04	90
49		565		00	01	40
50		496		00	13	50
51		458		00	14	15
52		459		00	05	10
53		460		00	09	75
54		461		00	09	50
55		462		00	30	60
56		466		00	22	00
57		443		00	65	50
58		439		00	35	00
59		438		00	11	25
60		436		00	36	40
61		437		00	09	15
62		564		00	02	25
			Total Area	09-20-90		

[F. No. Expl-13011(26)/27/2025-EXPL-PNG (E-53241)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.